

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-368/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.255-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(317)-2024

लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2024


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या- 25/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0.253-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(314)-2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में, शब्द और अक्षर 1 अप्रैल, 2024 के स्थान पर शब्द और अक्षर "15 मई 2024" रख दिये जायेंगे।

(2) यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव

